

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2020/5118

जबलपुर, दिनांक : 16/2/2020

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त  
विधि महाविद्यालयों के  
प्राचार्य गण ।

284

विषय :- विधि अध्ययन मण्डल के पुर्नगठन बाबत ।

महोदय,

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) एवं (3) के अन्तर्गत विधि संकाय के अधीन विधि अध्ययन मण्डल का गठन किया जाना है । जिसमें धारा 28(2) एवं (4) के निम्न प्रावधान के अन्तर्गत महाविद्यालयीन विभागाध्यक्षों का नाम निर्देशन किया जाना है, यथा :-

Section 28(2) (ii) Two Heads of College Department in colleges teaching the said subject upto the postgraduate level to be nominated by the Kulpati by rotation to seniority.

Section 28(2) (iv) Two Heads of College Department in colleges teaching the said subject upto the degree level to be nominated by the Kulpati by rotation to seniority.

अतः आपसे अनुरोध है कि विधि संकाय के अधीन विधि विषय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्षों के नाम जिनकी नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के तहत हुई है, इस कार्यालय को अविलम्ब भेजें । साथ ही स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष है यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो अलग-अलग कॉलम में ।

कृपया पावती सूचित करें ।

आदेशानुसार,

6-2-2020

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर